रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092023-249066
CG-DL-E-30092023-249066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/आश्विन 7 , 1945
No. 560] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ASVINA 7, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सं. 11/2023-केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 711(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतत्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची IV में-

(क) क्रम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात;

(1)	(2)	(3)
“227क	कोई भी अध्याय	“विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे”,- **स्पष्टीकरणः** केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (102क) में यथा-

		परिभाषित "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से- (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा; (iv) घुडदौड; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।";

(ख) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात;

"(v) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 13) और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 14) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/180/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पणः प्रधान अधिसूचना सं. 01/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 09/2023- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 को सा.का.नि. 547 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

No. 11/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 711(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*number G.S.R. 673(E), dated the 28thJune, 2017, namely: -

In the said notification,

(i) in Schedule IV-

(a) after S. No. 227 and the entries related thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"227A	Any Chapter	Specified actionable claim; ***Explanation:*** "specified actionable claim" as defined in section 2(102A) of the CGST Act, 2017 means the actionable claim involved in or by way of— (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;";

(b) S. No. 228 and 229 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:

"(v) The words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts."

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/180/2023-TO(TRU- II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28thday of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28thday of June, 2017 and was last amended by notification No. 09/2023Central Tax (Rate) dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 547 (E), dated the 26th July, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सं. 14/2023-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 712(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची IV में-

(क) क्रम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात;

(1)	(2)	(3)
227“क	कोई भी अध्याय	“विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे” **स्पष्टीकरणः** केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (102क) में यथा-परिभाषित “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे” से- (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा; (iv) घुडदौड; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।”;

(ख) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात;

“(v) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 13) और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 14) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/180/2023-टीओ-(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 जिसे सा.का.नि. 548(अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

No. 14/2023- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 712(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017,

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*number G.S.R. 666(E)., dated the 28thJune, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in Schedule IV-

(a) after S. No. 227 and the entries related thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"227A	Any Chapter	Specified actionable claim; ***Explanation:*** "specified actionable claim" as defined in section 2(102A) of the CGST Act, 2017 means the actionable claim involved in or by way of— (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;";

(b) S. No. 228 and 229 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:

"(v) The words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts."

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/180/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28thJune, 2017and was last amended by notification No. 09/2023 –Integrated Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 548(E), dated the 26th July, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सं. 11/2023-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 713(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची IV में-

(क) क्रम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात;

(1)	(2)	(3)
"227क	कोई भी अध्याय	"विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे",- **स्पष्टीकरणः** केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (102क) में यथा-परिभाषित "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से- (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा; (iv) घुडदौड; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।";

(ख) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात;

"(v) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 13) और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 14) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/180/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023 जिसे सा.का.नि. 549 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

No. 11/2023- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 713(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in Schedule IV-

(a) after S. No. 227 and the entries related thereto, the following S. no. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"227A	Any Chapter	Specified actionable claim; ***Explanation:*** "specified actionable claim" as defined in section 2(102A) of the CGST Act, 2017 means the actionable claim involved in or by way of— (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;";

(b) S. No. 228 and 229 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:

"(v) The words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts."

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

[F.No. CBIC-190354/180/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the28thJune, 2017, and was last amended by notification No.09/2023 –Union Territory Tax (Rate), dated the 26th July, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 549(E), dated the 26th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.30 13:50:02 +05'30'